न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– उम्मेद सिंह रत्नू आर.ए.एस.

अनवान :– प्रार्थना पत्र संख्या 140/2019

भागीरथ पुत्र श्री जगपाल जाति सुथार निवासी गांव रोहिडावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

–:: उपस्थिति अभिभाषक ::–

1.	श्री भागीरथ प्रार्थी	– – प्रार्थी(स्वयं)
2.	पैरोकार राज	– – अप्रार्थी 1

– :: निर्णय ::–

दिनांक :–07.01.2021

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता का नाम श्री जगपाल पुत्र रतनाराम था को जमाबन्दी सम्वत 2066–2069 में कई जगह पर टंकन की गलती से जमाबन्दी में नाम गलत लिखा गया तथा जगपाल के स्थान पर जगमाला राम लिखा गया है जो कि जमाबन्दी में टंकन की गलती के कारण लिखा गया है जबकि प्रार्थी के पिता का नाम जगपाल पुत्र श्री रतनाराम था। उक्त नाम की टंकन गलती के कारण प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार को भूमि का लगान भरने, पानी की पर्ची लेने में, बैंक से ऋण लेने में कई बार भारी मुसीबत का सामना पडता है। जबकि यह भूमि उनके केवल पिता के नाम से है तथा उनके पिता का नाम जगपाल है। जबकि टंकन की गलती के कारण जमाबन्दी में उनका नाम जगह जगह गलत अंकित हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त तथ्यो की टंकन की गलती के शद्धिकरण के लिये प्रार्थी के पिता का नाम जगपाल पुत्र रतनाराम किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर से जांच रिपोर्ट ली गई। पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई, प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार पटवारी हल्का रोहिडावाली की रिपोर्ट प्राप्त की जिसने दैनिक डायरी 05.03.2020 में अंकित किया है कि भागीराथा पुत्र जगपाल जाति सुथार नाम का कोई दूसरा नहीं है तथा भागीरथ पुत्र जगपाल जाति सुथार साकिन रोहिडावाली के आधार कार्ड, राशनकार्ड या वोटर आई डी वगेरा में दर्ज नाम भागीरथ पुत्र जगपाल है। इसलिए जगपाल पुत्र रतनाराम नाम शुद्ध किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

–:: आदेश ::–

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबंदी सम्वत् 2066–2069 ग्राम का नाम 4 एच बडा, पटवार हल्का रोहिडावाली, भू.अ.नि.क्षे. शिवपुर खाता संख्या 86/75, कार्यालय ग्राम पंचायत रोहिडावाली द्वारा जारी प्रमाण पत्र, आधारा कार्ड भागीरथ, निर्वाचन पहचान पत्र भागीरथ, ट्रांसफर प्रमाण पत्र पाठशाला प्रवेशानुज्ञा भागीरथ कार्यालय उप तहसीलदार हिन्दुमलकोट जिला श्रीगंगानगर द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना, कार्यालय ग्राम पंचायत रोहिड़ांवाली द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र की प्रति पेश की। तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अभिलेखीय साक्ष्यों एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमाबंदी सम्वत् 2066–2069 ग्राम का नाम 4 एच बडा, पटवार हल्का रोहिडावाली, भू.अ.नि.क्षे. शिवपुर खाता संख्या 86/75 में जगमाला राम के स्थान पर जगपाल पुत्र रतनाराम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहंरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदसिंह रत्नू)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन् सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner